न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा ,पीठासीन अधिकारी श्री प्रभातीलाल जाट आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 587 / 2016

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

तहसीलदार,पचपदरा

1.नैनसिंह पुत्र धनसिंह पुरोहित

2. बाबूसिह,जसराज,चन्दनसिंह पिता मोडसिंह

3 पुखराज,भवंरसिंह,भोपसिंह,शैतानसिंह, मालसिंह ,अर्जुनसिंह,नरपतसिंह पिता देवाराम, चुगीदेवी पत्नि देवाराम पुरोहित

4 जोगाराम,दोलाराम पिता गिरधारी पुरोहित

5 केसूसिंह, तेजसिंह, भीखसिंह , दिनेश पिता सांवलराम ,लीला पत्नि सावंलराम जाति पुरोहित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970.

आदेश

दिनांक 11.02.2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 1970 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आश्य का प्रस्तुत किया । हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गस्त गिरदावरी ग्राम [illegible] मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नही है। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया लेकिन अनुपस्थित रहे व कोई जबाब पेश नही किया।

(SDO)

पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत मे होने की ताईद की है व कोई आपति जाहिर नही की है।उक्त आवागमन के रास्ते को रास्ते के रूप मे दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये जावे, मौका पर उक्त रास्ता /बारहमासी मार्ग भिण्डाकुआ के खसरा नंबर 77 व गॉव कीटनोद के खसरा नंबर 96 मे चल रहा है।

अतः मौजा भिण्डाकुआ से कीटनोद के गॉव कीटनोद के खसरा नंबर 96 रकबा 0.02, गॉव भिण्डाकुआ के खसरा नंबर 77 रकबा 0.01 बीगा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते/ सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारो को नोटिस जारी कर तलब किया, किन्तु बावजूद इत्ला कोई उज्र एतराज पेश नही किया। ग्रम कीटनोद के खसरा नंबर 96 के खातेदार हनुमानराम आकोदिया ने 2 विस्वा भूमी रास्ते मे देने की सहमति प्रदान की है। संयुक्त खातेदारी के खसरा नंबर 77 के कब्जाधारी जोगसिंह पुत्र गिरधारीसिंह ने भी सहमति प्रदान की है।

भूमी धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नही है।

उपस्थित सरकारी पैरोकार को सुना। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी मे भी किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर मौजा भिण्डाकुआ व कीटनोद मे अवस्थित खसरा नंबर 96 रकबा 0.02 बीगा परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है , उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत ,खातेदार के खाते मे ही दर्ज रहेगा। परिशिष्ट 'ब' निर्णय का भाग रहेगा ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक 11.2.2017 को सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(प्रभातीलाल जाट)
भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

Scanned by CamScanner